न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एस0सी0एस0टी0एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ।

उपस्थित:एस0ए0एच0रिजवी–एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण सं0:0501373/2009
मु0अ0सं0:380/2008
धारा:114,109,147,124ए,153ए भा0दं0सं0
थाना:वजीरगंज,लखनऊ।

निर्णय

अभियुक्तगण शेख मुख्तार हुसैन,नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर, नूर इस्लाम उर्फ मामा,मो0 अली अकबर हुसैन व अजीजुर्रहमान सरदार का विचारण मु0अ0सं0 380/2008 अन्तर्गत धारा 114,109,147,124ए,153ए भा0दं0सं0 मे थाना वजीरगंज की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर किया गया।

इस प्रकरण को दिनांक 23/11/2009को न्यायिक मजिस्ट्रेट,द्वितीय,लखनऊ ने सत्र सुपुर्द किया है तथा इस न्यायालयको यह सत्र विचारण स्थानांतरण द्वारा प्राप्त हुआ है।

अभियोजन केस इसप्रकार है कि दिनांक 12/08/2008 को उप निरीक्षक राम नारायन सिंह,पुलिस लाइन,लखनऊ ने एक जुबानी सूचना थाना वजीरगंज में इस आशय से दर्ज करायी कि दिनांक 12/08/2008 को मै उ0नि0 रामनारायन सिंह मय हमराही उप0नि0 हीरालाल वर्मा,उ0नि0 अरुण कुमार दूबे,उ0नि0 सुरेश बाबू,हे0कां0 270 मनोहर लाल,हे0कां0 25 कमरुद्दीन,हे0कां0 99 बालादीन,कां0 1474 नाथू सिंह,कां0 1401 चन्द्रप्रकाश,कां01722 रामनुज सिंह,कां0 574 उदय चन्द तिवारी,कां0 1157 महादेव,कां0 1422 शैलेन्द्र सिंह,कां0 649 राजबहादुर,कां0 1684 परमात्मा सिंह,कां0 2649 सरोज अवस्थी,कां0 3308 जयंत कुमार,कां0 1182 रामऔतार,कां0 2643 अशोक कुमार,कां0 941 जगदीश प्रसाद,कां0 1194 हरिकिशोर,कां0 1074 त्रिभुवन चौधरी,कां0 871 वीरेन्द्र पटेल,कां0 564 श्रीकांत के साथ सरकारी गाड़ी नं0 यू0पी0–32/डी0जी0–0286 चालक लालाराम व वाहन सं0 यू0पी0–32/ए0जी0–2247 चालक राकेश शर्मा के साथ पुलिस लाइन से जी0डी0 नं0 21 समय 9.25 बजे रवाना होकर आतंकवादियो को जिला कारागार,लखनऊ से लेकर पेशी हेतु माननीय न्यायालय ए0डी0जे0–2,लखनऊ के यहां आतंकवादी नं01 शेख मुख्तार हुसैन,2.मो. अली अकबर हुसैन,3.अजीजुर्रमान,4.नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर व 5.नूर इस्लाम उर्फ मामा को लेकर समय 13.30 बजे न्यायालय पहुचा तो न्यायालय के सामने बरामदे मे आतंकवादियो के अधिवक्ता श्री एम0एफ फरीदी व मो0 शोएब व दो अन्य वकील पहले से खड़े मिले और श्री एम0एफ फरीदी ने आतंकवादियो के कान मे धीरे से कुछ कहा जिस पर आतंकवादी ने पाकिस्तान

जिन्दाबाद व हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे जिस पर आतंकवादियो को सुरक्षा घेरा सख्त करते हुए हम पुलिस वालो ने घेराबंदी की फिर भी वकील फरीदी व उनके साथी आतंकवादियो को उकसाते रहे कि इसी दौरान न्यायालय के आसपास मौजूद जनता व अधिवक्तागण इकट्ठा हो गये और नारो का विरोध करने लगे। इनके द्वारा राष्ट्र विरोधी नारो व धार्मिक भावनाओ को भड़काने के कृत्य से जनता मे व अन्य अधिक्तागणो मे अशांति फैलने का अंदेशा देखते हुए तुरन्त मौके पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा आतंकवादियो को सुरक्षा घेरे मे लेते हुए भीड़ को नियंत्रित किया तथा पेशी करायी । न्यायालय मे पेशी के बाद जिला कारागार सरुक्षित पहुॅचाया गया। आतंकवादियो का यह कृत्य धारा 153ण्124ण् भा0दं0सं0 की हद को पहुॅचता है एवं आतंकवादियो के अधिवक्तागण का कार्य उकसाने का दोषी होने की हद तक पहुॅचता है।

वादी उप निरीक्षक रामनारायन सिंह की उपरोक्त जुबानी सूचना के आधार पर थाना वजीरगंज में अपराध संख्या 380/2008 धारा 124ए,153ए,109 व 114 भा0दं0सं0 विरुद्ध शेख मुख्तार हुसैन आदि पंजीकृत हुआ और विवेचना प्रारम्भ हुई। विवेचक ने वादी मुकदमा की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। गवाहो के बयान अंकित किए तथा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया तथा सम्बंधित सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृत प्राप्त किया।

अभियुक्तगण शेख मुखतार हुसैन,मो0 अली अकबर हुसैन,अजीजुर्रहमान सरदार, नौशाद उर्फ हाफिज व नूर इस्लाम उर्फ मामा के विरुद्ध धारा 114,109,147,124ए,153ए भा0दं0सं0 के आरोप लगाये गये। अभियुक्तगण ने सभी आरोपो से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

मौखिक साक्ष्य में अभियोजन ने पी0डब्लू–1 रामनारायन सिंह(उप निरीक्षक–वादी मुकदमा),पी0डब्लू–2 हे0कां0 129 बालादीन,पी0डब्लू–3कां0 राम आसरे यादव,पी0डब्लू–4 उप निरीक्षक अरुण कुमार दूबे,पी0डब्लू–5 महेश कुमार गुप्ता, पी0डब्लू–6 अवनीश दीक्षित एडवोकेट,पी0डब्लू–7 अनुराग त्रिवेदी एडवोकेट,पी0डब्लू–8 अरविन्द अवस्थी एडवोकेट,पी0डब्लू–9 विष्णु मिश्रा एडवोकेट,पी0डब्लू–10 उप निरीक्षक लोहा सिंह,कां0 3173 रामराज शर्मा एवं पी0डब्लू–12 अश्वनी कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट को पेश किया गया है। इन साक्षियो के द्वारा प्रदर्श क–1 लगायत प्रदर्श क–5 पुलिस प्रपत्रो को साबित किया गया है।

धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण के बयान अंकित किए गए। अभियुक्तगण ने अभियोजन केस व गवाहो के कथनो को अस्वीकार करते हुए उन्हें गलत होना कहा है। साक्षियो के द्वारा झूठा फंसाने के लिए गवाही देने का कथन किया है तथा मुकदमा फर्जी चलाने का भी कथन किया है। अभियुक्तगण ने यह अतिरिक्त कथन किया है कि ''उन्हें हथकड़ी मे लेकर लाया जा रहा था जब विरोध किया तो एसटीएफ ने कुछ वकीलो के साथ साजिश रचकर पिटवाया और इस तरह का झूठा बवंडर रचाया ताकि कोई वकील उनका केस न लड़ सके। उनका यह भी कथन है कि वे भारत के रहने वाले है और उन्हें अपने देश पर गर्व है। नारे के बारे मे वे सोच भी नहीं सकते। जब तक वे जिन्दा रहेगें इस देश की सेवा करते रहेगें।'' सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया।

बचाव में डी0डब्लू–1 मो0 रजी व डी0डब्लू–2 अंजू गुप्ता को पेश किया गया है।

मैने उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ के तर्को को सुना तथ पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन ने अपने केस को सिद्ध करने के लिए कुल 12 गवाह पेश किए है जिनमे पी0डब्लू–1 राम नारायन सिंह उप निरीक्षक,पी0डब्लू'2 बालादीन हे0कां0, पी0डब्लू–3 कां0 राम आसरे यादव,पी0डब्लू–4 अरुण कुमार दूबे उप निरीक्षक,पी0डब्लू–5 अवनीश दीक्षित,पी0डब्लू–7 अनुराग त्रिवेदी,पी0डब्लू–8 अरविन्द अवस्थी,पी0डब्लू–9 विष्णु कुमार मिश्रा,पी0डब्लू–11 रामराज शर्मा कांस्टेबिल व पी0डब्लू–12 अश्वनी कुमार श्रीवास्तव तथ्य के साक्षी के रुप मे पेश कराये गये है। शेष साक्षी पी0डब्लू–3 राम आसरे यदव कां0/मोहर्रिर,पी0डब्लू–5 महेश कुमार गुप्ता आबकारी आयुक्त व पी0डब्लू–10 लोहा सिंह उप निरीक्षक औपचारिक साक्षी है।

पी0डब्लू–1 राम नारायन सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि ''दिनांक 12/08/2008 को मै पुलिस लाइन मे उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी आतंकवादी अभियुक्तो को न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु लगायी गयी थी। मेरे साथ ड्यूटी मे तीन दरोगा,तीन हेड कांस्टेबिल व 14 सिपाही दो गाड़ियां व दो ड्राइवर थे। मुलजिमान शेख मुख्तार,मो0 अली अकबर हुसैन,नौशाद व नूर इस्लाम व अजीजुर्रहमान को जिला कारागार से लेकर अपर जिला जज कक्ष सं0–2 के न्यायालय मे पेश करने हेतु ले गये थे। हम लोग करीब डेढ़ बजे न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं0–2 के बरामदे मे पहुॅचे तो इन सभी मुलजिमान के वकील एम0एफ0 फरीदी व मो0

शोएब व दो अन्य वकील नाम नहीं पता है,इन लोगो से मिले। अधिवक्ता फरीदी साहब ने मुलजिमानो से कान मे कुछ कहा तो मुलजिमानो ने पाकिस्तान जिन्दाबाद व हिन्दुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरु कर दिया। हम लोगो ने अभियुक्तो की घेरबंदी करके घेर लिया। इसके बावजूद भी चारो अधिवक्तागण मुलजिमान को उकसाते रहे और मुलजिमान नारेबाजी करते रहे। जनता के तमाम लोग व अधिवक्तागण इकट्ठाहो गये व नारो का विरोध किया। इसके बाद हम लोगो ने अभियुक्तो को न्यायालय मे पेशी करायी और पेशी कराने के बाद जिला कारागार वापस लायें। इसके बाद मैने थाना वजीरगंज जाकर उक्त घटना के सम्बंध मे सूचना दिया। मैने जो थाने पर सूचना दिया था उसे मुंशी जी ने लिखा था।'' साक्षी ने चिक रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षरो की पुष्टि की है।

पी0डब्लू–2 हे0कां0 बालादीन ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए गए है कि दिनांक 12/08/2008 को मै बतौर हेड कांस्टेबिल पुलिस लाइन लखनऊ मे कार्यरत था। उस तिथि को मेरी ड्यूटी उ0नि0 राम नारायन सिंह के साथ आतंकवादियो को न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज–2 लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लगायी गयी थी। उस दिन जिला कारागार,लखनऊ से अभियुक्त शेख मुख्तार,मो0 अली अकबर हुसैन,अजीर्जुरहमान,नौशाद और नूर इस्लाम को पुलिस की गाड़ी से एस्कोर्ट की जीप भी साथ मे थी,न्यायालय सेंशन कोर्ट मे अपर जिला जज–2 के समक्ष पेश करने हेतु ले गये थे। हम लोग दिन मे डेढ़ बजे उक्त न्यायालय सभी मुलजिमानो को लेकर पहुॅचे। जब हम लोग उपरोक्त मुलजिमानो को लेकर न्यायालय अपर जिला जज–2,लखनऊ के सामने बरामदे मे पहुॅचे तो वहां पर दो वकील ए0एम0 फरीदी व मो0 शोएब मिले और उनके साथ दो वकील और थे। मो0 शोण्ब व ए0एम0 फरीदी वकील साहब ने आतंकवादियो के कान मे कुछ कहा तो आतंकवादी उपरोक्त मुलजिमान हिन्दुस्तान मुर्दाबाद व पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाने लगे। नारो की आवाज को सुन करके वहां पर अनुराग त्रिवेदी,विष्णु मिश्रा,अरविन्द अवस्थी और रवि कौशल ये सभी वकील है आये और विरोध करने लगे। मो0 शोएब व फरीदी वकील साहब आतंकवादियो को नारे के लिए उकसाते रहे। वहां पर जब तमाम जनता के लोग व वकील आ गये तो आपस मे धक्का मुक्की होने लगी। तभी मौके पर उच्चाधिकारी भी आ गये। हम लोगो ने मुलजिमान की घेराबंदी करके उनको बचाते हुए न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज–2 के समक्ष प्रस्तुत किया और उनको पेश करने के बाद जिला कारागार,लखनऊ मे वापस दाखिल किया।''

पी0डब्लू–3 कां0 राम आसरे यादव ने अपने मुख्य परीक्षा मे वादी मुकदमा उप

निरीक्षक राम नारायन सिंह की जुबानी कथन के आधार पर चिक प्रथम सूचना मु0अ0सं0 380/08 धारा 124ए 153ए,109,114 भादसं0 दर्ज करने का कथन करते हुए नकल जी0डी0 कायमी प्रदर्श क–2 को साबित किया है।

पी0डब्लू–4 उप निरीक्षक अरुण कुमार दूबे ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि ''यह घटना दिनांक 12/08/08 की है समय 1.30 बजे का था। मै मुलजिमान जो इस केस मे है पांचो मुलजिमान को न्यायालय द्वितीय अपर जिला जज कोर्ट मे पेशी के लिए ले जा रहा था। एसआई राम नारायन सिंह व अन्य पुलिस कर्मी साथ मे थे। मै मुलजिमानो को जेल से लाकर पेशी पर लाया था। इन मुलजिमानो को घटना के दिन पेशी के लिए मुलजिमानो को उतारा वहां पर पहले से रहे ए0एम0 फरीदी एडवोकेट,मो0 शुएब व बदरुद्दीन मौजूद थे। इन लोगो ने मुलजिमान को गाड़ी से उतरते ही कुछ कान मे कहा। मुलजिमान हाजिर अदालत हिन्दुस्तान के विरुद्ध व पाकिस्तान के पक्ष मे नारे लगा रहे थे। हिन्दुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिन्दाबाद। यह सुनकर वहां अनुराग त्रिवेदी,विष्णु कुमार मिश्रा एडवोकेट,अवस्थी एडवोकेट और जनता के तमाम लोग इकट्ठा हो गये तब हम लोग मुलजिमान को सुरक्षा मे लेकर न्यायालय चले गये। मुलजिमान की इस हरकत से माहौल अशांति हो गया। आला अधिकारी भी आ गये। इस घटना की रिपोर्ट एसआई रामनारायन सिंह ने थाना वजीरगंज मे किया था। मुलजिमान भारत विरोधी व पाकिस्तान के समर्थनर मे नारे गाड़ी से उतरकर कोर्ट परिसर से बहुमंजिली के आगे जिला जज न्यायालय मे स्थित अपर जिला जज–2 के बरामदे तक नारेबाजी किए है।''

पी0डब्लू–5 महेश कुमार गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि दिनांक 29/04/09 को मै उ0प्र0शासन मे बहैसियत सचिव गृह तैनात था। मेरे द्वारा अभियुक्तगण शेख मुख्तार हुसैन,मो0 अली अकबर हुसैन,अजीर्जुरहमान,नौशाद तथा नूर इस्लाम,अब्दुल मुकीद फरीदी व मो0 शोएब के विरुद्ध मु0अ0सं0 380/08 धारा 124ए,153ए,109,114 भा0दं0सं0 थाना वजीर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 महोदय के आदेश के अनुपालनप मे मेरे द्वारा अपने हस्ताक्षर कर प्रदान किया गया। इस साक्षी ने अभियोजन स्वीकृत को प्रदर्श क–3 के रुप मे साबित किया है।''

पी0डब्लू–6 अवनीश दीक्षित एडवोकेट ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि ''दिनांक 12/08/08 को समय लगभग डेढ़ बजे दिन न्यायालय परिसर मे लंच हो

चुका था मैं अपने चैम्बर से निकलकर अपर जिला जज–2,लखनऊ की कोर्ट के बगल मे बने बाथरुम मे बाथरुम करने गया था। जब मै वापस बाहर निकला तो देखा कि कुछ आतंकवादियो को लेकर काफी पुलिस फोर्स न्यायालय अपर जिला जज–2 मे पेशी पर आयी थी। न्यायालय के बरामदे मे मो0 शोएब एडवोकेट,ए0एम0 फरीदी एडवोकेट व दो अन्य जुनियर अधिवक्ता आतंकवादियो से बात कर रहे थे कि इसी बातचीत के दौरान अचानक आतंकवादी जो पुलिस अभिरक्षा मे थे,पाकिस्तान जिन्दाबाद व हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। नारे की आवाज सुनकर मौके पर काफी मात्रा मे अधिवक्ता,कर्मचारीगण व अन्य बहुत से लोग पहुॅच गये। अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगो ने विरोध शुरु कर दिया। मौके पर अशांति का माहौल पैदा हो गया। पुलिस के उच्चाधिकारी भी मौके पर आ गये और स्थिति को नियंत्रण मे किया और पुलिस फोर्स ने काफी मशक्कत से आतंकवादियो को न्यायालय मे पेश किया। आतंकवादियो का देश के विरुद्ध नारे लगाने का कृत्य अत्यंत निन्दनीय था। उनके वकील व पैरोकार जो आतंकवादियो को उकसा रहे थे उनका यह कृत्य अत्यंत निन्दनीय था।''

पी0डब्लू–7 अनुराग त्रिवेदी एडवोकेट ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि ''घटना 2008 की है जुलाई या अगस्त का महीना था। तारीख मुझे याद नहीं है। लगभग डेढ़ बजे दिन लंच का समय था। मै पप्पू कैन्टीन से निकलकर अपनी सीट की तरफ आ रहा था। अपर जिला जज–2 की कोर्ट मे काफी शोर शराबा हो रहा था। मै शोर सुनकर वहां गया। काफी वकील इकट्ठा थे। कुछ मुलजिम पुलिस कस्टडी मे थे। मुलजिम जो पुलिस कस्टडी मे थे काफी डरे व सहमे हुए थे। वहां पर मौजूद वकीलो से पूछने पर बताया गया कि मुलजिमान हिन्दुस्तान मुर्दाबाद व पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे और मुलजिमानो के साथ कुछ वकील भी शामिल थे। मुलजिमान मेरे सामने ये नारे नहीं लगा रहे थे। मैने लोगो के बताने पर सुना था।''

पी0डब्लू–8 अरविन्द अवस्थी एडवोकेट ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि ''घटना 2008 की जुलाई या अगस्त माह की है। समय दोपहर डेढ़ बजे का था। अपर जिला जज–2,लखनऊ की कोर्ट के सामने की घटना है। जिस समय की घटना है उस समय मै अपने चैम्बर मे था। शोर शराबा सुनकर मै कोर्ट मे पहुॅचा वहां अधिवक्ताओ की भीड़ मौजूद थी। वहां कुछ लोगो ने बताया कि मुलजिमान जो पेशी हेतु लाये गये थे पाकिस्तान जिन्दाबाद व हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। किसके उकसाने पर लगा रहे थे यह मैने नहीं सुना।''

पी0डब्लू–9 विष्णु कुमार मिश्रा एडवोकेट ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि ''घटना दिनांक 12/08/2008 की डेढ़ से दो बजे के बीन दिन की है। मै अपने चैम्बर मे था। पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे सुनकर मै चैम्बर से निकल कर अपर जिला जज–2 की कोर्ट के सामने बरामदे मे पहुॅचा तो देखा कि नारे जो आतंकवादी रिमाण्ड पर लाये गये थे वही लगा रहे थे। आतंकवादियो के वकील कौन थे यह मुझे नहीं मालूम। ये नारे किसके उकसाने पर मुलजिमान लगा रहे थे मुझे नहीं मालूम।''

पी0डब्लू–10 उप निरीक्षक लोहा सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि ''दिनांक 12/08/2008 को मै बतौर उप निरीक्षक थाना वजीरगंज मे तैनात था। मु0अ0सं0 380/08 धारा 124ए,153ए,109,114 भा0दं0सं0 थाना वजीरगंज की विवेचना मुझ उप निरीक्षक को सुपुर्द हुई थी। जिसमे मुझ उप निरीक्षक द्वारा दिनांक 12/08/08 को ही एफआईआर की नकल व जी0डी0 की नकल थाना कार्यालय से प्राप्त किया था। न्यायालय सिविल कोर्ट,लखनऊ पहॅुचकर केस डायरी मे नकल सूचना जुबानी वादी,नकल रपट कायमी मुकदमा तथा कां0 राम आसरे यादव का बयान अंकित किया। दिनांक 14/08/08 को मैने उप निरीक्षक रामनारायन सिंह का बयान अंकित किया और उनकी निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा केस मे उससे सम्बंधित विवरण अंकित किए। साथ ही अन्य साक्षीगण अरविन्द सिंह एडवोकेट,राजेश सिंह एडवोकेट तथा उप निरीक्षक सुरेश बाबू का बयान अंकित किया तथा आरक्षी परमात्मा सिंह,आरक्षी जगदीश प्रसाद,आरक्षी राम औतार,आरक्षी हरिकिशोर का बयान अंकित किया। दिनांक 16/08/08 को मैने उप निरीक्षक अरुण कुमार दूबे व उप निरीक्षक हीरा लाल वर्मा,हे0कां0 मनोहर लाल,कां0 कमरुद्दीन,आरक्षी रामानुज राय,आरक्षी उदयचन्द,आरक्षी महादेव के बयान अंकित किये। दिनांक 10/09/08 को मैने साक्षी अनुराग त्रिवेदी एडवोकेट,विश्व कुमार मिश्रा एडवोकेट,अरविन्द अवस्थी एडवोकेटअवनीश दीक्षित एडवोकेट तथा एस0ए0 हुसैन के बयान अंकित किये। नक्शा नजरी को इस साक्षी ने प्रदर्श क–4 के रुप मे साबित किया है। साक्षी ने आगे यह कथन किए है कि दिनांक 13/10/08 को मेरे स्थानांतरण होने के पश्चात अन्य विवेचक एस0आई0 के0के0 मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। उनके स्थानांतरण के पश्चात इस प्रकरण की विवेचना पुनः मुझे प्राप्त हुई। दिनांक 06/12/08 को मैने प्रधान आरक्षी बालादीन,आरक्षी शैलेन्द्र सिंह,आरक्षी राज बहादुर,आरक्षी सरोज अवस्थी,आरक्षी अशोक कुमार,आरक्षी श्रीकांत के बयान अंकित किए। दिनांक 14/12/08 को मैने आरक्षी रामराज शर्मा,आरक्षी रघुवर प्रसाद मौर्य के बयान अंकित किए। दिनांक 19/12/08 को

अभियुक्तगण के रिमांड सम्बंधी विवरण केस डायरी में अंकित किए। दिनांक 20/12/08 को आरक्षी त्रिभुवन चौधरी,आरक्षी वीरेन्द्र पटेल,आरक्षी जयंत कुमार के बयान अंकित किए। दिनांक 21/12/08 को अब्दुल मुकीम फरीदी व मो0 शोएब एडवोकेट के बयान अंकित किए। दिनांक 22/12/08 को मैने बयान अश्वनी कुमार श्रीवास्तव,राहुल सिंह,रवी कौशल एडवोकेट अंकित किए। अभियुक्तगण शेख मुख्तार हुसैन,नूर इस्लाम,नौशाद,मो0 अली अकबर हुसैन तथा अजीजुर्रमान के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147,109,114 भा0दं0सं0 न्यायालय मे प्रेषित किया है। साक्षी ने आरोप पत्र को प्रदर्श क–5 के रुप मे साबित किया है। दिनांक 12/05/09 को मैने शासनादेश अन्तर्गत धारा 124ए,153ए भादंसं0 अभियोग चलाये जाने हेतु अभियोजन अनुमति तथा अभियुक्तगण उपरोक्त तथा अभियुक्तगण अब्दुल मुकीम फरीदी व मो0 शोएब के विरुद्ध जुर्म धारा 109,114 भा0दं0सं0 सम्बंधित पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया। इस साक्षी ने आरोप पत्र को प्रदर्श क–6 के रुप मे साबित किया है।''

पी0डब्लू–11 रामराज शर्मा कां0 3173 ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि दिनांक 12/08/08 को मै माननीय न्यायालय अपर जिला जज–2,लखनऊ मे कोर्ट मोहर्रिर मे पद पर तैनात था और ड्यूटी पर मौजूद था। इस कोर्ट मे मै काफी पहले से कार्य देख रहा था। इसी दिन समय करीब 1.30 बजे दिन की घटना है। शेख मुख्तार के साथ मो0 अली अकबर,अजीर्जुरहमान,नौशाद व नूर इस्लाम मुलजिमान के साथ दो अधिवक्ता श्री मो0 शोएब एडवोकेट व फरीदी भी बरामदे मे खड़े थे। करीब 13.30 बजे जब पुलिस वाले आतंकवादियो को पेशी के लिए लेकर आये तो दोनो अधिवक्ताओ ने मुलजिमानो को रोक कर मेरे सामने मुलजिमान के कान मे कुछ कहा जिस पर सभी आतंकवादी पाकिस्तान जिन्दाबाद व हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरु कर दिये। इसी बीच दोनो अधिवक्तागणो ने उन्हें और उकसा दिया तो सभी आतंकवादी और नारे जोर–जोर से लगाने लगे। शोर सुनकर आसपास के अन्य अधिवक्तागण व जनता के लोग आ गये और आक्रोशित होने लगे। इसी बीच दोनो वकील व अधिवक्तागण व जनता के लोगो के मध्य धक्कामुक्की होने लगी। शांति भंग का अंदेशा हो गया। आतंकवादियो के साथ आये पुलिास बल ने सूझबूझ से काम लेकर आतंकवादियो को घेरे मे लेकर अदालत मे ले गये और पेशी करायी। मैने वारण्ट पर अगली तारीख डालकर पीठासीन अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर वापस पुलिस अधिकारी जो आतंकवादियो के साथ आये थे,दे दिया। न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें जिला कारागार वापस ले जाने हेतु निर्देशित किया गया। जो अभियुक्तगण न्यायालय पेशी पर गये थे व

नारे लगा रहे थे आज न्यायालय मे हाजिर है। उन दो अधिवक्ताओ मे से एक अधिवक्ता न्यायालय मे मौजूद है जिनका नाम ए0एम0 फरीदी है। दूसरे अधिवक्ता इस समय न्यायालय मे नही है। सामने आने पर पहचान सकता हूँ।''

पी0डब्लू–12 अश्वनी कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि ''मै पेशे से अधिवक्ता हूँ। वर्ष 2006 से वकालत सिविल कोर्ट,लखनऊ मे कर रहा हूँ। घटना दिनांक 12/08/08 की है। समय लगभग 1.30 बजे का था। घटना के समय मै,डी0जे0 कोर्ट के बगल मे चैम्बर है,वहां पर था। अचानक भारत विरोधी नारे लगने लगे। मैने सुना था। मै मौके पर गया जहां पर भारत विरोधी नारेबाजी हो रही थी। कस्टडी मे आये मुलजिमान के द्वारा नारेबाजी की जा रही थी। भीड हो गयी थी वहां पब्लिक के लोग,अधिवक्तागण व पुलिस सभी लोग थे। कौन मुलजिम नारे लगा रहा था उसको मैने स्पष्ट रुप से नहीं देखा था लेकिन नारे लगाने की आवाज मैने सुनी थी। मै मौके पर गया था।''

पी0डब्लू–1 रामनारायन सिंह वादी है। रिपोर्ट उन्हीं के द्वारा दर्ज करायी गयी है। जबकि पी0डब्लू–2 बालादीन हे0कां0,पी0डब्लू–4 अरुण कुमार दूबे उप निरीक्षक,उस पुलिस पार्टी के सदस्य है,जिनकी ड्यूटी उस दिन अभियुक्तगण को उनके फौजदारी के मुकदमे मे न्यायालय मे पेश करने के लिए लगी हुई थी तथा पी0डब्लू–11 रामराज शर्मा कांस्टेबिल भी पुलिस कर्मी है जो घटना के दिन न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0–2 मे कोर्ट मोहर्रिर के पद पर तैनात थे। इन साक्षियो ने अपने मुख्य परीक्षा के बयानो मे यह कथन किए है कि दिनांक 12/08/08 को पुलिस पार्टी अभियुक्तगण को न्यायालय मे पेश करने के लिए जनपद न्यायालय लायी थी,जब यह घटना हुई। अभियुक्तगण के वकील मो0 शोएब व ए0एम0 फरीदी थे और उनके द्वारा अभियुक्तगण के कान मे कुछ कहने पर अभियुक्तगण भारत विरोधी व पाकिस्तान के समर्थन मे नारे लगाये तथा उनके वकील मो0 शोएब व फरीदी ने उन्हें इसके लिए उकसाया परन्तु इन साक्षियो के आपसी कथन मे घटना के मुख्य बिन्दुओ पर ही विसंगतियां व विरोधाभास है और स्वंय के कथन भी अर्न्तविरोधी है। पी0डब्लू–1 राम नारायन सिंह उप निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि लगभग 1.30 बजे जब वे न्यायालय के बरामदे मे पहुँचे तो वकील ए.एम.फरीदी व मो0 शोएब व अन्य दो वकील जिनके नाम नहीं पता है,मिले और अधिवक्ता फरीदी ने मुलजिमानो से कान मे कुछ कहा तो मुलजिमानो ने नारे लगाने शुरु कर दिया। आगे साक्षी ने यह भी बयान दिये है कि हम लोगो ने अभियुक्तो की घेराबंदी करके घेरे मे लिया इसके बावजूद भी चारो अधिवक्तागण मुलजिमान को

उकसाते रहे और मुलजिमान नारेबाजी करते रहे। जबकि साक्षी की प्रतिपरीक्षा मे इससे भिन्न यह कथन है कि अभियुक्तगण मेरे हिरासत मे थे नारे लगाते हुए ही उनकी घेराबंदी कर दी। मैने मुलजिमान की घेराबंदी की तब वकीलो व पब्लिक के रोष को देखते हुए मुलजिमानो ने नारेबाजी बंद कर दी तथा एक अन्य स्थान पर साक्षी ने यह भी बयान दिये है कि नारे गिन नहीं रहा था लेकिन 2–4 बार नारे लगाया था। इसप्रकार प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त बयानो से यह स्थापित हो रहा है कि जब पुलिस पार्टी मुलजिमान को लेकर न्यायालय बरामदे मे पहुॅची तभी उनके अधिवक्ता फरीदी ने मुलजिमानो के कान मे कुछ कहा जिस पर मुलजिमान नारेबाजी करने लगे और उन्होनें 2–4 नारे लगाये और तभी पुलिस पार्टी ने मुलजिमान की घेराबंदी कर ली। जनता तथा वकील वहां पर आ गये थे जिनके रोष को देखते हुए मुलजिमान ने नारेबाजी बंद कर दी जबकि मुख्य परीक्षा मे साक्षी ने इसस भिन्न यह बयान दिये है कि मुलजिमान की घेराबंदी करने के बाद भी चारो अधिवक्ता मुलजिमानो को उकसाते रहे और मुलजिमान नारेबाजी करते रहे। पी0डब्लू–1 रामनारायन सिंह एसआई ने मुख्य परीक्षा मे यह कहा है कि अधिवक्ता एम0एफ0 फरीदी ने मुलजिमान के कान मे कुछ कहा था जबकि पी0डब्लू–2 बालादीन हे0कां0 ने अपनी मुख्य परीक्षा मे दो अधिवक्ताओ मो0 शोएब व ए0एम0 फरीदी के द्वारा मुलजिमानो के कान मे कुछ कहने की बात कहीं है। पी0डब्लू–2 बालादीन की मुख्य परीक्षा मे आगे यह भी कथन है कि मो0 शोएब व फरीदी वकील साहब नारे के लिए उकसाते रहे वहां पर जब तमाम जनता के लोग व वकील आ गये तो आपस मे धक्कामुक्की होने लगी तभी मौके पर उच्चाधिकारी भी आ गये। जबकि पी0डब्लू–1 रामनारायन सिंह,एसआई की मुख्य परीक्षा मे उपरोक्त आशय का कोई कथन नहीं है बल्कि उसके मुख्य परीक्षा के बयानो से यह स्थापित हो रहा है कि मुलजिमान ने 2–4 नारे लगाये और फिर पुलिस पार्टी ने मुलजिमानो को घेरे मे ले लिया तथा जनता व वकीलो के रोष को देखते हुए मुलजिमानो ने नारेबाजी बंद कर दी और इसके बाद कोई घटना नहीं हुई। पी0डब्लू–4 एसआई अरुण कुमार दूबे की मुख्य परीक्षा का बयान उपरोक्त दोनो साक्षियो के बयानो से बिल्कुल भिन्न है। पी0डब्लू–1 राम नारायन सिंह एसआई व पी0डब्लू–2 बालादीन हे0कां0 की मुख्य परीक्षा के बयानो से यह स्थापित हो रहा है कि सम्पूर्ण घटना न्यायालय कक्ष के बरामदे मे घटी। मानचित्र घटनास्थल प्रदर्श क–4 मे भी घटनास्थल न्यायालय कक्ष के बरामदे मे दिखाया गया है परन्तु पी0डब्लू–4 अरुण कुमार दूबे की मुख्य परीक्षा के बयान से घटनास्थल मुलजिमान के गाड़ी से उतरने का स्थान स्थापित हो रहा है। साक्षी की मुख्य परीक्षा मे ही यह कथन है कि ‘‘मै मुलजिमान को जेल से लाकर पेशी पर लाया था इन मुललिजमानो को घटना के दिन पेशी के लिए गाड़ी से उतारा वहां पर पहले से ही ए0एम0 फरीदी एडवोकेट व मो0 शोएब

व बदरुद्दीन मौजूद थे इन लोगो ने मुलजिमान के गाड़ी से उतरते ही कान मे कुछ कहा। मुलजिमान हिन्दुस्तान के विरुद्ध व पाकिस्तान के समर्थन मे नारे लगाने लगे थे। यह सुनकर वहां अनुराग त्रिवेदी,विष्णु कुमार मिश्रा,अवस्थी एडवोकेट और जनता के तमाम लोग इकट्ठा हो गये तब हम लोग मुलजिमान को सुरक्षा मे लेकर न्यायालय चले गये।'' पी0डब्लू–4 अरुण कुमार दूबे ने अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ–2 पर भी यह बयान भी दिये है कि ''मुलजिमान द्वारा भारत विरोधी व पाकिस्तान के समर्थन मे नारेबाजी गाड़ी से उतकर कोर्ट परिसर बहुमंजिले भवन के आगे जिला जज न्यायालय के बाहर स्थित अपर जिला जज–2 के बरामदे तक नारेबाजी किए थे।''इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा मे भी यह कथन है कि सारी नारेबाजी जहां गाड़ी खड़ी थी वहां से शुरु करते हुए सारे रास्ते नारेबाजी करते रहे। उपरोक्त बयान अभियोजन केस तथा अन्य साक्षियो के बयानो से गंभीर भिन्नता रखते है क्योंकि इस बयान से यह स्थापित होता है कि गाड़ी से उतरते ही मुलजिमान ने उसी स्थान पर नारेबाजी शुरु की और फिर न्यायालय परिसर मे नारेबाजी करते हुए बहुमंजिले भवन व जिला जज के न्यायालय वाले भवन से होते हुए अपर जिला जज–2 के बरामदे तक लगातार नारेबाजी करते रहे है। जबकि अन्य साक्षियो ने यह बयान दिये है कि घटना केवल अपर जिला जज–2 के न्यायालय के सामने बरादमे मे हुई और घटना बहुत थोड़ी देर के लिए हुई। पी0डब्लू–1 राम नारायन सिंह ने यह कहा है कि मुलजिमान ने केवल 2–4 बार नारा लगाया था। पी0डब्लू–1 एसआई रामनारायन सिंह ने मुख्य परीक्षा मे अधिवक्ता फरीदी के द्वारा मुलजिमान के कान मे कुछ कहने की बात कही है परन्तु किस मुलजिम के कान मे बात कहीं गयी उसका नाम उनके बयान मे नहीं आया है और पी0डब्लू–2 हे0कां0 बालादीन की मुख्य परीक्षा मे मो0 शोएब व ए0एम0 फरीदी के द्वारा मुलजिमानो के कान मे कुछ बात कहने का कथन है। साक्षी की मुख्य परीक्षा मे मुलजिमान का नाम नहीं है जिनके कान मे यह बात कहीं परन्तु प्रतिपरीक्षा मे साक्षी ने यह कहा है कि दोनो वकीलो ने मुलजिम शेख मुख्तार व अली अकबर के कान मे कुछ कहा था। इस बिन्दु पर पी0डब्लू–4 एसआई0 अरुण कुमार दूबे की प्रतिपृच्छा मे यह बयान है कि मुझे नहीं पता कि किस वकील ने किस मुलजिम के कान मे कुछ कहा। पी0डब्लू–2 हे0कां0 बालादीन की प्रतिपरीक्षा मे यह बयान भी है कि दरोगा जी से मैने इन नारो की बात नहीं बतायी थी जो सही बात है वह दरोगा जी को बतायी थी। साक्षी के उपरोक्त कथन से उसके इन बयानो का पूर्ण रुपेण खण्डनहो रहा है कि अधिवक्ताओ के द्वारा मुलजिमान के कान मे कुछ कहने व उकसाने पर मुलजिमान भारत विरोधी व पाकिस्तान के समर्थन मे नारे लगाने लगे थे।

पी0डब्लू–6 अवनीश दीक्षितव पी0डब्लू–12 अश्वनी कुमार श्रीवास्तव के बयान भी पुलिस कर्मी साक्षियो के बयानो से महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर भिन्नता रखते है। पी0डब्लू–6 अवनीश दीक्षित ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि ''न्यायालय के बरामदे मे मो0 शोएब एडवोकेट व एक अन्य फरीदी एडवोकेट व दो अन्य जुनियर अधिवक्ता आतंकवादियो से बात कर रहे थे और इसी बातचीत के दौरान अचानक आतंकवादी जो पुलिस अभिरक्षा मे थे, नारे लगाने लगे।'' परन्तु प्रतिपरीक्षा मे इन बिन्दुओ पर साक्षी ने यह बयान दिये है कि मैने अभियुक्तो के कान में कुछ वकीलो द्वारा बात करते नहीं देखा।''अतः प्रतिपरीक्षा के इन बयान से मुख्य परीक्षा के उपरोक्त बयानो का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पुलिस कर्मी साक्षियो के बयानो मे यह कथन है कि जैसे ही अभियुक्तगण न्यायालय के बरामदे मे पहुॅचे तो वहां पर मौजूद अधिवक्ता मो0 शोएब व ए.एम. फरीदी ने उनके कान मे कुछ कहा तब मुलजिमान नारे लगाने लगे। जबकि पी0डब्लू–6 अवनीश दीक्षित के मुख्य परीक्षा के बयानो से यह परिलक्षित होता है कि मुलजिमान के पुलिस अभिरक्षा मे बरामदे मे पहुॅचते ही उनके अधिवक्ता के द्वारा उनके कान मे कहने व नारेबाजी की घटना नहीं हुई बल्कि कुछ देर तक बरामदे मे खड़े रहकर मुलजिमान व उनके दोनो अधिवक्तागण व दो जुनियर अधिवक्ता बातचीत करते रहे तथा इस बातचीत के दौरान मुलजिमान ने नारे लगाने शुरु किए। पी0डब्लू–6 अवनीश दीक्षित की मुख्य परीक्षा मे आगे यह भी बयान है कि नारे की आवाज सुनकर मौके पर काफी संख्या मे अधिवक्ता,कर्मचारी व बहुत से लोग पहुॅच गये थे और अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगो ने विरोध शुरु कर दिया। पुलिस के उच्चाधिकारी भी मौके पर आ गये और स्थिति को नियंत्रण में किया और पुलिस फोर्स ने काफी मशक्कत से आतंकवादियो को न्यायालय मे पेश किया। साक्षी के बयानो मे यह भी कथन है कि उस समय अपर जिला जज कक्ष सं0–2 के बगल मे बाथरुम करने गया था तथा प्रतिपृच्छा मे ेएक स्थान पर यह भी बयान है कि अभियुक्तो ने भारत विरोधी नारेबाजी लगभग 10–15 मिनट के बीच मे किया था और राष्ट्र विरोधी नारो की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुॅचे थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि पी0डब्लू–1 एसआई राम नारायन सिंह के बयानो से यह स्थापित हो रहा है कि मुलजिमान ने केवल 2–4 नारे लगाये थे और जैसे ही मुलजिमान ने नारेबाजी की पुलिस पार्टी ने उन्हें घेरे मे ले लिया तथा जनता व अधिवक्ताओ के रोष को देखते हुए मुलजिमान ने नारेबाजी बंद दी। अतःनारेबाजी की घटना मात्र 1–2 मिनट हुई। अतःपी0डब्लू–6 अवनीश दीक्षित का यहबयान कि टायलेट मे राष्ट्र विरोधी नारो की आवाज सुनकर जब वे मौके पर पहुचे तब भी मुलजिमान नारेबाजी कर रहे थे,विश्वसनीय नहीं रह जाता है।

पी0डब्लू–12 अश्वनी कुमार श्रीवास्तव का बयान भी अभियोजन केस का समर्थन नहीं कर रह रहा है। साक्षी ने मुख्य परीक्षा मे यह कहा है कि घटना के समय जिला जज कोर्ट के बगल मे बने अपने चैम्बर मे था तभी अचानक भारत विरोधी नारे लगने लगे जिसे सुना और मौके पर गया वहां पर भारत विरोधी नारेबाजी हो रही थी। कस्टडी मे आये मुलजिमान द्वारा नारेबाजी की जा रही थी परन्तु साक्षी की प्रतिपरीक्षा मे मे इससे भिन्न यह कथन है कि ''मैने नारे लगाते हुए किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखा था। भीड़ थी नारे सुने थे,आवाज सुनने के 05 मिनट बाद मौके पर पहुॅच गया था भीड़ होने की वजह से मैआगे तक नहीं पहुॅच पाया इसलिए किसी को देख नहीं पाया।

पी0डब्लू–7 अनुराग त्रिवेदी,पी0डब्लू–8 अरविन्द अवस्थी एवं पी0डब्लू–9 विष्णु कुमार मिश्रा को अभियोजन ने अपने केस का समर्थन न करने के कारण पक्षद्रोही घोषित करा दिया है। इन साक्षियो ने यह बयान दिये है कि इनके सामने मुलजिमानो ने नारे नहीं लगाये थे और लोगो के बताने पर उन्हें यह मालूम हुआ था। पी0डब्लू–7 अनुराग त्रिवेदी की मुख्य परीक्षा मे यह कथन है कि मुलजिमान मेरे सामने नारे नही लगा रहे थे। मैने लोगो के बताने पर सुना था तथा प्रतिपृच्छा मे यह कहा है कि जिस समय नारे लगाये जा रहे थे उस समय मै मौजूद नहीं था। मैने इन लोगो को नारे लगाते नहीं देखा। भीड़ के कहने पर पता चला था। इसी प्रकार पी0डब्लू–8 अरविन्द अवस्थी की मुख्य परीक्षा मे यह कथन है कि जिस समय की घटना है, मै अपने चैम्बर मे था शोर शराबा सुनकर मै कोर्ट पहुॅचा वहां अधिवक्ताओ की भीड़ मौजूद थी वहां कुछ लोगो ने बताया कि मुलजिमान जो पेशी हेतु लाये गये थे, नारे लगा रहे थे किसके उकसाने पर लगा रहे थे,यह मैने नहीं सुना तथा प्रतिपृच्छा मे यह बयान दिये है कि लोगो ने बताया कि नारेबाजी 2–4 मिनट चली। घटनास्थल से मेरा चैम्बर 100 मीटर दूर है। मुझे घ ाटनास्थल पर पहुॅचने मे एक मिनट लगा। पी0डब्लू–9 विष्णु कुमार मिश्रा ने यह बयान दिये है कि नारे जो आतंकवादी रिमाण्ड पर लाये गये थे वहीं लगा रहे थे। आतंकवादियो के वकील कौन थे,यह मुझे नहीं मालूम। यह नारे किसके उकसाने पर मुलजिमान लगा रहे थे,मुझे नहीं मालूम। साक्षी के प्रतिपृच्छा मे यह बयान भी है कि नारे लगाते हुए मैने 2–3 लोगो को देखा था लेकिन कौन–कौन लगा रहे थे,उनके नाम नहीं बता सकता और नारे लगाने की घटना 15–20 मिनट तक चली थी। मै नारे व शोर की आवाज सुनकर उस स्थान पर पहुॅचा था। मुझे अपने चैम्बर से घटनास्थल पर पहुॅचने में 3–4 मिनट लगा होगा।

उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि घटना किस प्रकार घटित

हुई,इस संदर्भ मे अभियोजन साक्षियो के बयानो मे गंभीर विसंगतियां व भिन्नतायें है। किसी अभियोजन साक्षी ने 2–4 नारेबाजी की घटना घटित होने का बयान दिया है जबकि अन्य साक्षियो ने 5–10–15 मिनट तक नारेबाजी की घटना की बात कहीं है। जबकि वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 रामनारायन सिंह के बयानो मे यह कथन है कि केवल 2–4 मिनट नारे मुलजिमान ने लगाये थे। घटनास्थल के संदर्भ मे साक्षियो के कथन अलग–अलग है। कुछ साक्षियो ने पूरी घटना न्यायालय कक्ष के बरामदे मे होना बताया है जबकि कुछ साक्षियो ने मुलजिमान के गाड़ी से उतरने के स्थान से ही घटना प्रारम्भ होकर न्यायालय के बरामदे तक घटित होना बताया है।

अभियुक्तगण का अपने धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयान मे यह कथन किया है कि वे हथकड़ी लगाये जाने का विरोध कर रहे थे और इसी रंजिश के कारण एसटीएफ ने वकीलो से साजिश कर उन्हें पिटवाया व इस तरह का बवंडर बनाकर फर्जी मुकदमा कायम कराया है ताकि उनका केस कोई वकील न कर सके। अभियुक्तगण ने बचाव मे दो साक्षी डी0डब्लू–1 मो0 रजी तथा डी0डब्लू–2 अंजू गुप्ता को भी पेश किया है। डी0डब्लू–1 मो0 रजी का कथन हैकि दिनांक 12/08/08 को दिन मे लगभग 1.00 बजे वह अपने सीनियर मो0शोएब एडवोकेट के साथ अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं0–2 की अदालत मे सरकार बनाम नौशाद के मुकदमे मे गये हुए थे। कोर्ट रुम मे समय करीब 1.30 बजे लगभग 20–25 अधिवक्ता घुस आये और इस केस के अभियुक्तो एवं मो0 शोएब एडवोकेट के साथ मारपीट की जहां मौजूद पुलिस वालो ने बीच बचाव किया। उस दिन मैव अंजू गुप्ता व मो0 शोएब एडवोकेट इस केस मे गये थे। ए0एम0 फरीदी एडवोकेट मेरे साथ नहीं थे। पी0डब्लू–2 अंजू गुप्ता ने मुख्य परीक्षा मे यह बयान दिये है कि दिनांक 12/08/08 को सुबह 11.30 बजे मै अपर सेंशन जज कोर्ट नं0–2 के न्यायालय में एप्लीकेशन देने गयी थी जो मुलजिमान की हथकड़ी के सम्बंध मे थी। उसके बाद 1.30 बजे दिन मे दुबारा कोर्ट मे गयी थी वहां पर हम जज साहब का इंतजार कर रहे थे। जज साहब उस समय न्यायालय कक्ष मे नहीं बैठे थे। इसके बाद 20–25 वकील आये उन्होनें अधिवक्ता मो0शोएब से पूछा कि यह केस कौन लड़ रहा है जैसे ही मो0 शोएब ने यह कहा कि इस केस को मैं लड़ रहा हूँ तो अधिवक्ताओ ने उन्हें मारना–पीटना शुरु कर दिया। लगभग 10–15 मिनट तक मारपीट की थी। मुलजिमान कोई नारेबाजी नहीं कर रहे थे। उन्होनें मुलजिमानो को भी पीटना शुरु कर दिया था। अभियुक्तगण ने अभिलेखीय साक्ष्य मे बार कौन्सिल आफ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 3132 दिनांक 05/07/2012 प्रदर्श ख–1 तथा इसके साथ संलग्न अनुशासनात्मक समिति केस नं0 120/2009 मो0 शोएब बनाम जितेन्द्र सिंह यादव में पारित आदेश दिनांक 12/06/2010

की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ख–2 तथा अधिवक्ता मो0शोएब द्वारा जितेन्द्र सिंह यादव तथा अन्य के विरुद्ध बार कौन्सिल आफ उत्तर प्रदेश मे प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 26/10/2008 तथा इसके समर्थन मे शपथ पत्र (मय संलग्नक सं0–1 ता 4) की प्रमाणित प्रतिलिपियां भी दाखिल की है। इन अभिलेखो से यह स्थापित हो रहा है कि अधिवक्ता मो0 शोएब ने जितेन्द्र सिंह यादव तथा अन्य के विरुद्ध बार कौन्सिल आफ उत्तर प्रदेश मे एक शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि शिकतायकर्ता कथित आतंकवादियो के केस मे पैरवी कर रहे थे। दिनांक 13/05/2008 को वह मुख्य न्यायिक मजि0 के न्यायालय मे उपस्थित हुए लेकिन विपक्षी जो अधिवक्ता हैं,20–25 के समूह मे शिकायतकर्ता को धमकी दी। दिनांक 12/08/2008 को शिकायतकर्ता ने अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं0–2 के न्यायालय में अभियुक्त नौशाद को हथकड़ी से मुक्त कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रातः 11.00 बजे न्यायालय मे दिया तथा लगभग 1.00 बजे न्यायालय मे पहुॅचा उस वक्त पीठासीन अधिकारी न्यायालय मे नहीं थे और उन्होनें अपने स्टाफ से अभियुक्तगण के हस्ताक्षर आदेश पत्र मे कराने का निर्देश दिया तथा सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत कर दी तभी अचानक 20–25 अधिवक्ताओ का एक समूह जिसका नेतृत्व विपक्षीगण कर रहे थे,न्यायालय कक्ष मे घुस आये और शिकायतकर्ता को बुरी तरह से मारापीटा क्योंकि शिकायतकर्ता उनकी इच्छा के विरुद्ध इस मुकदमे की पैरवी कर रहा था। शिकायतकर्ता ने 12/08/08 को ही थाना प्रभारी वजीरगंज को 2.30 पी.एम. पर इस घटना के सम्बंध मे एक प्रार्थना पत्र दिया परन्तु उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी इससे क्षुब्ध होकर शिकायतकर्ता ने दिनांक 13/08/08 को एसएसपी,लखनऊ को प्रार्थना पत्र भेजा तथा दोपहर 12.30 बजे जिला जज,लखनऊ को 12/08/08 की घ ाटना के सम्बंध मे विपक्षीगण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया। दिनांक 13/08/08 को दिन मे 1.15 बजे विपक्षीगण अपने ग्रुप केसाथ शिकायतकर्ता के चैम्बर मे आये और शिकायतकर्ता को बुरी तरह से मारापीटा और चैम्बर के बाहर खींच कर लाये तथा उसका एडवोकेट बैण्ड,शर्ट व कोट फाड़ दिया चश्मा तोड़ दिया और पूरे न्यायालय परिसर मे पाकिस्तान मुर्दाबाद हिन्दुस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए घुमाया तथा यह कहा कि जिला जज को दिये गये प्रार्थना पत्र का यह इनाम है। दिनांक 14/08/08 को शिकायतकर्ता ने एसएसपी,लखनऊ को 12/08/08 व 13/08/08 की घ ाटना तथा पुलिस द्वारा कार्यवाहीन करने के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया। इन अभिलेखो से यह स्थापित है कि इस शिकायती प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे बार कौन्सिल आफ उत्तर प्रदेश के द्वारा अनुशासनात्मक समिति केस नं0 120/09 मो0शोएब बनाम जितेन्द्र सिंह यादव पंजीकृत हुआ और जो दिनांक 12/06/2010 के आदेश से निस्तारित हुआ। प्रार्थना–पत्र के संलग्नक के रुप मे शिकायतकर्ता मो0 शोएब द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र

दिनांक 12/08/08 एसएसपी,लखनऊ को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 13/08/08 को जिला जज,लखनऊ को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 13/08/08 व एसएसपी,लखनऊ को प्रेषित प्रार्थना पत्र तथा चेयरमैन,बार कौन्सिल आफ उत्तर प्रदेश को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रतियां भी संलग्नक के रुप मे है। उक्त आदेश में यह उल्लेख है कि दोनो पक्षकारो ने संयुक्त रुप से हस्ताक्षरित एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया है कि केस की कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाये। विपक्षीगण ने संयुक्त रुप से अपने दोष को महसूस किया और घटना के लिए खेद व्यक्त किया और यह भी वादा किया कि इस तरह का दुव्यर्वहार वह भविष्य मे नहीं करेगे। समिति संतुष्ट है और शिकायत को निरस्त करती है। इसप्रकार उपरोक्त अभिलेखीय साक्ष्य से स्थापित हो रहा है कि दिनांक 12/08/08 को कुछ अधिवक्ताओ के द्वारा अभियुक्तगण के अधिवक्ता के साथ मुकदमे की पैरवी को लेकर मारपीट व दुव्यर्वहार न्यायालय कक्ष मे ही किया गया था तथा जिसके लिए उक्त अधिवक्तागण ने अनुशासनात्मक कार्यवाही केस मे बार कौन्सिल मे क्षमा याचना भी की।

अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र पर एस0टी0 नं0 159/08 सरकार बनाम जलालुद्दीन आदि की पत्रावली जो दिनांक 12/08/08 को नियत थी,तलब की गयी जिसमे दिनांक 12/08/08 की घटना के संदर्भ मे तत्कालीन पीठासीन अधिकारी/अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं0–2 श्री शक्तिकांत द्वारा जिला जज,लखनऊ को घटना के संदर्भ मे एक रिपोर्ट/पत्र प्रेषित किया गया है,संलग्न है। इसमे यह उल्लेख है कि, ‘‘सत्र परीक्षण सं0–159/08 सरकार बनाम जलालुद्दीन आदि तथा सम्बंधित सत्र परीक्षण उनके न्यायालय मे 12/08/08 को नियत थे। भोजनावकाश के दौरान पुलिस अभिरक्षा मे अभियुक्तगण को न्यायालय मे लाया गया था। पीठासीन अधिकारी उस समय विश्राम कक्ष मे थे। तभी पीठासीन अधिकारी को लोगो की आवाज सुनायी दी और पीठासीन अधिकारी तत्काल न्यायालय कक्ष के डायस पर पहुॅचे और यह पाया कि अधिवक्ताओ के दो समूह एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे और पूछतांछ करने पर पता चला कि बार एसोसियेशन ने पहले से यह प्रस्ताव पारित कर रखा है कि कोई भी वकील विदेशी आतंकियो तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियो व ऐसे अपराध मे संलिप्त मुलजिमानो की पैरवी नहीं करेगा। जबकि अधिवक्ताओ का दूसरा समूह उन मुलजिमानो की पैरवी करने पर जोर दे रहा था। अधिवक्ताओ की भीड़ इतनी उग्र थी कि उनको शांत करना और नियंत्रण मे करना पीठासीन अधिकारी के क्षमता के परे था तब पीठासीन अधिकारी पुनः अपने चैम्बर मे वापस गये और कर्मचारियो तथा सरकारी वकील को उक्त घटना के बारे मे अधिकारियो को सूचित करने का निर्देश दिया। पीठासीन अधिकारी ने आगे यह भी

उल्लेख किया है कि विदेशी नागरिको तथा आतंकी घटनाओ मे सम्मिलित अभियुक्तगण के मुकदमे की सुनवाई न्यायालय परिसर मे किया जाना संभव नहीं है क्योंकि कई बार अधिवक्तागण न्यायालय की कार्यवाही को बाधित करते है और विचाराधीन बंदियो की सुरक्षा को खतरा हो सकता और भविष्य मे कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है और पीठासीन अधिकारी द्वारा यह प्रार्थना की गयी कि सत्र विचारण अभियुक्तगण का न्यायालय परिसर से बाहर अन्यंत्र कराया जाये।'' इसप्रकार न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं0–2,लखनऊ के न्यायालय मे सत्र विचारण सं0 159/08 सरकार बनाम जलालुद्दीन आदि की पत्रावली नियत थी और जिसमे पेशी के लिए अभियुक्तगण जेल से लाये गये थे। पीठासीन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट/पत्र मे घटना न्यायालय कक्ष के अन्दर की होना बताया है और यह भी उल्लेख किया है कि अधिवक्तागण का एक समूह अभियुक्तगण के अधिवक्ता को मुकदमे की पैरवी न करने देने के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार व मारपीट कर रहा था। अतः इस रिपोर्ट/पत्र से यह पूर्ण रुप से स्थापित हो रहा है कि घटना न्यायालय कक्ष के बाहर बरामदे की न होकर न्यायालय कक्ष के अन्दर की है और न्यायालय कक्ष के अन्दर अभियुक्तगण के अधिवक्ताओ के साथ अधिवक्ताओ के एक समूह ने दुर्व्यवहार व मारपीट की। अतः इस अभिलेख से प्रदर्श ख–1 व ख–2 अधिवक्ता मो0 शोएब द्वारा बार कौन्सिल मे दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र के अभिकथनो की पुष्टि हो रही है और उपरोक्त सम्पूर्ण अभिलेखो से डी0डब्लू–1 मो0 रजी व डी0डब्लू–2 अंजू गुप्ता के बयानो का भी समर्थन हो रहा हैं। पी0डब्लू–7 अनुराग त्रिवेदी की मुख्य परीक्षा मे भी यह बयान है कि अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं0–2 के न्यायालय मे काफी शोर शराब हो रहा था मै शोर सुनकर वहां गया कुछ मुलजिमान पुलिस कस्टडी मे थे। पुलिस वाले भी थे। मुलजिमान जो पुलिस कस्टडी मे थे,काफी डरे व सहमे हुए थे। पी0डब्लू–7 अनुराग त्रिवेदी का उपरोक्त बयान भी बचाव केस का समर्थन कर रहा है और इससे यह स्थापित हो रहा है कि अधिवक्तागण के एक समूह के द्वारा अभियुक्तगण की पैरवी करने के कारण न्यायालय कक्ष के अन्दर अधिवक्ता मो0 शोएब के साथ दुव्यवहार व मारपीट की गयी और इसी कारण अभियुक्तगण जो पुलिस कस्टडी मे थे,डरे व सहमे हुए थे। इसप्रकार बचाव साक्ष्य से यह स्थापित हो रहा है कि अभियोजन जिस प्रकार की घटना घटित होना बता रहा है। घटना न तो उस प्रकार घटित हुई है औ न ही घटना उस स्वरुप की थी। घटना न्यायालय कक्ष के बाहर बरामदे की न होकर न्यायालय कक्ष के अन्दर की थी जिसमे अधिवक्ताओ के एक समूह ने अभियुक्तगण के अधिवक्ता के साथ बार एसोसियेशन के प्रस्ताव के विरुद्ध जाकर अभियुक्तगण की पैरवी करने के लिए उनके साथ दुव्यर्वहार व मारपीट की। न्यायालय कक्ष के बाहर बरामदे मे नारेबाजी की बात दबाव मे प्रथम सूचना

रिपोर्ट को आधार देने के लिए कही जा रही है और इसी कारण अभियोजन साक्षियो के बयानो मे घटना के संदर्भ मे महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर गंभीर विसंगतियां व भिन्नताये आयी हैं। जो उनके मौखिक साक्ष्य को अविश्वसनीय बना देती है। जबकि बचाव साक्षियो के बयानो की पुष्टि प्रलेखीय साक्ष्य से हो रही है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण से यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन केस सन्देह से परे सिद्ध नहीं है और अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्तगण शेख मुख्तार हुसैन, नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर,नूर इस्लाम उर्फ मामा,मोहम्मद अली अकबर हुसैन,अजीजुर्रहमान सरदार को धारा114,109,147,124ए,153 ए भा0दं0सं0 के आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है।

चूँकि उपरोक्त सभी अभियुक्तगण गिरफतारी के समय से जिला कारागार में निरुद्ध है। इसलिए यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उन्हें अविलम्ब जेल से रिहा किया जाये।

अभियुक्तगण का रिहाई वारण्ट तत्काल जिला कारागार,लखनऊ प्रेषित किया जाये।

अभियुक्तगण धारा 437–ए दं0प्र0सं0 के प्राविधानो के अन्तर्गत दो सप्ताह के अन्दर रुपये 25–25 हजार के दो–दो जमानतीं व इसी धनराशि का मुचलका प्रस्तुत करें।

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.ऐक्ट)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
दिनांकः14/01/2016 लखनऊ।

निर्णय एवं आदेश आज मेरें द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.ऐक्ट)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
दिनांकः14/01/2016 लखनऊ।

अ0ज0/पी.ए.
14.01.16